रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269681
CG-DL-E-30012026-269681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 77] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

सं. 02/2026 – एचएसएनएस उपकर

सा.का.नि. 78(अ).— केंद्रीय सरकार, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 (2025 का 35) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर नियम, 2026 में और संशोधन करने के लिए निम्नानुसार नियम बनाती है।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा (एचएसएनएस) नियम, 2026 में, -

(क) नियम 12 के उपनियम (2) में निम्नानुसार को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

‘**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजनार्थ, मशीन की "अधिकतम निर्धारित गति" की गणना निम्नानुसार सूत्र का उपयोग करके की जाएगी, अर्थात्:-

$S=(R/G)\times n$

जहाँ: S = मशीन की अधिकतम निर्धारित गति प्रति मिनट थैलियों अथवा टिनों अथवा पात्रों की संख्या के रूप में।

R = मशीन के मुख्य डिस्क रोटरी मोटर की प्रति मिनट घूर्णन (RPM) रेटिंग, जो थैली या टिन या पात्र को भरती है।

G = मुख्य डिस्क रोटरी मोटर और मशीन के घूमने वाले ड्रम के बीच गियर असेंबली का समग्र गियर अनुपात।

n = क्षैतिज पैकिंग मशीन में फनेल की संख्या अथवा ऊर्ध्वाधर मशीन में कपों की संख्या;’

(ख) नियम 16 में दृष्टांत 2 के स्थान पर निम्नानुसार दृष्टांत प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: —

"दृष्टांत 2: एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 2.5 ग्राम प्रति मिनट की 700 थैली की पैकिंग गति वाली हाई स्पीड थैली पैकिंग मशीन का उपयोग कर विनिर्दिष्ट माल का विनिर्माण कर रहा है। इस अधिनियम की अनुसूची II के क्रमांक 2 के अधीन ऐसी मशीन के लिए मासिक उपकर देयता ₹ 2,02,00,000 है। मशीन को 20 जुलाई को मुद्रांकित किया जाता है और 11 अगस्त को मुहर खोल दिया जाता है। निरंतर अप्रवर्तन की कुल अवधि 22 दिन (जो पंद्रह दिन से अधिक) है। रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपशमन का दावा करने के लिए आवेदन 20 सितंबर (जिस माह में मशीनें अप्रवर्तनशील और मुद्रांकित की गई थी, उसके बाद के माह) तक प्रस्तुत किया जाय ।

उपकर रकम में छूट की गणना निम्नानुसार की जाएगी: —

(i) जुलाई के लिए अप्रवर्तन का विवरण:

माह में दिवसों की कुल संख्या (जुलाई) (N): 31

माह में लगातार उन दिवसों की संख्या जिस दिन मशीन अप्रवर्तनशील थी (D): 12

मशीन के लिए माह में भुगतान की गई उपकर की रकम (C): ₹ 2,02,00,000

(ii) जुलाई (A1) के लिए रकम में कमी की गणना:

$A1 = (2,02,00,000/31)\times 12 =$ ₹ 78,19,355

(iii) अगस्त के लिए अप्रवर्तन का विवरण:

माह में दिवसों की कुल संख्या (अगस्त) (N): 31

माह में लगातार उन दिवसों की संख्या जिस दिन मशीन अप्रवर्तनशील थी (D): 10

मशीन के लिए मासिक भुगतान की गई उपकर रकम (C): ₹ 2,02,00,000

(iv) अगस्त (A2) के लिए रकम में कमी की गणना:

$A2=(2,02,00,000/31)\times 10=$₹ 65,16,129

(v) समायोजन: 1,43,35,484 रुपये (A1+A2) की रकम को समुचित अधिकारी द्वारा, उदाहरणार्थ, अक्टूबर में जारी आदेश में उपशमन के रूप में स्वीकार की जाएगी। उक्त रकम को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नवंबर माह के उपकर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(ग) नियम 34 के बाद, निम्नानुसार नियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"35: **उपकर का उपयोग.-** (1) उपकर, जिसमें कोई भी ब्याज अथवा शास्ति सम्मिलित है, भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और अधिनियम की धारा 7 में प्रदत्त प्रयोजन हेतु संसद द्वारा प्राधिकृत विनियोग के पश्चात् उपयोग किया जाएगा।

(2) उप-नियम(1) के अधीन, भारत की संचित निधि में जमा उपकर को संसद से विनियोग प्राप्त करने के पश्चात् स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर निधि नामक निधि में अंतरित किया जाएगा।

(3) उपकर का उक्त निधि में अंतरण वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा त्रैमासिक रूप से किया जाएगा।

(4) उक्त निधि से वित्तपोषित की जाने वाली गतिविधियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम जन स्वास्थ्य और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित होंगे।

(5) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपकरों की गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की पहचान और आपसी-आबंटन, जिसमें कोई ब्याज या शास्ति शामिल है, का निर्णय बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से परामर्श कर तय किया जाएगा।

(6) उक्त निधि में रकम का अंतरण, निधि का आहरण और निधि के खाते का संधारण प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा तैयार की गई लेखा प्रक्रिया के अनुसार होगा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित होगा।

(7) केंद्रीय सरकार द्वारा संधारण निधि के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।";

(घ) प्ररुप एचएसएनएस डीईसी-01 में,

(i). पैरा 4 पर, सारणी अ और सारणी आ में,

(I) स्तंभ (7) के स्तंभ शीर्षक में, "ट्रैक्स" शब्द के स्थान पर, "कप्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) स्तंभ (13) के स्तंभ शीर्षक में, "ट्रैक" शब्द के स्थान पर, "कप" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(III) स्तंभ 13 के स्तंभ शीर्षक में, "मिनट" शब्द के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"[9/8]";

(ii) पैरा 5 में,-

(I) शीर्षक में, "सारणी 4" शब्द और अंक के स्थान पर, "क्रमांक 4 पर" शब्द और आंकड़ा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) सारणी में,-

(अ) स्तंभ (2) के स्तंभ शीर्षक में, "सारणी III या सारणी IV" शब्द और अंक के स्थान पर, "सारणी क या सारणी ख" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(आ) स्तंभ (4) के स्तंभ शीर्षक में, "ट्रैक्स" शब्द के स्थान पर, "कप्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(इ) स्तंभ (10) के स्तंभ शीर्षक में, "ट्रैक" शब्द के स्थान पर, "कप" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ई) स्तंभ (10) के स्तंभ शीर्षक में, "मिनट" शब्द के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्;- "[7/6]";

(ङ.) प्ररुप एच.एस.एन.एस. सी.ई.-01,

(i) पैरा 2 में, सारणी में, -

(I) स्तंभ (6) के स्तंभ शीर्षक में, "ट्रैक्स" शब्द के स्थान पर, "कप्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) स्तंभ (12) के स्तंभ शीर्षक में, "ट्रैक" शब्द के स्थान पर, "कप अथवा फनल" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(III) स्तंभ (12) के स्तंभ शीर्षक में, "मिनट" शब्द के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "[8/7]";

(IV) स्तंभ 13 के शीर्षक में, "मिनट" शब्द के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "[6 X 12] या [9 X 12]";

(ii) पैरा 3 में, उप-पैरा 2 में, -

(I) "स्तंभ 10" शब्द और अंक के स्थान पर, "स्तंभ 13" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) "स्तंभ 8" शब्द और अंक के स्थान पर, "स्तंभ 11" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) चार्टरित इंजीनियर के लिए अनुदेशों में क्रम संख्या 2 में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. स्तंभ 13 (कुल पैकिंग क्षमता): यह अधिकतम निर्धारित गति है। इसकी गणना इस प्रकार की जानी चाहिए: (प्रत्येक कप अथवा फनल की पैकिंग क्षमता) × (कप अथवा फनल की संख्या)। यह आंकड़ा अधिनियम की अनुसूची II में उपकर का स्तर निर्धारित करता है।"

(च) प्ररूप एचएसएनएस आरईटी-01 में, प्ररूप एचएसएनएस आरईटी-01 दाखिल करने हेतु अनुदेशों में, क्रम संख्या 1 में, उदाहरण में, अंक "5" के स्थान पर अंक "4" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(छ) प्ररूप एचएसएनएस एपीएल 02 में, शीर्षक में "धारा 61" शब्द और अंक के स्थान पर, "धारा 30" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. S-25014/2/2025-DS(ST)-DOR(Pt.5)]

विकाश कुमार, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में क्रमांक सा.का.नि. 2(अ) तारीख 1 जनवरी, 2026 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 01/2026-एचएसएनएस उपकर, तारीख 1 जनवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

No. 02/2026 - HSNS Cess

G.S.R. 78(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Health Security *se* National Security Cess Act, 2025 (35 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Health Security *se* National Security Cess Rules, 2026.

1. (1) These rules may be called the Health Security *se* National Security Cess (First Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of February, 2026.

2. In the Health Security *se* National Security Cess Rules, 2026,-

(a) in rule 12, in sub-rule (2), the following shall be inserted, namely: —

'*Explanation.*- For the purposes of this rule, "maximum rated speed" of the machine shall be calculated using the following formula, namely:-

$$S = \left(\frac{R}{G}\right) \times n$$

Where:

S = Maximum rated speed of the machine in terms of number of pouches or tins or containers per minute

R = Revolutions per minute (RPM) rating of the main disc rotary motor of the machine that fills the pouches or tins or containers

G = Overall gear ratio of the gear assembly between the main disc rotary motor and the rotating drum of the machine

n = Number of funnels in a horizontal machine or number of cups in a vertical machine.';

(b) in rule 16, for Illustration 2, the following Illustration shall be substituted, namely: —

"Illustration 2: A registered person is engaged in the manufacture of specified goods using a high-speed pouch packing machine with a packing speed of 700 pouches of 2.5 grams per minute. The monthly cess liability for such a machine under Sl. No. 2 of Schedule II of the Act is ₹ 2,02,00,000. The machine is sealed on the 20th day of July and is desealed on the 11th day of August. The total period of continuous non-operation is 22 days (exceeding fifteen days). The application for claiming abatement may be filed by the registered person by 20th September (the month succeeding the month in which the machines were inoperative and sealed).
The amount of abatement of cess shall be calculated as follows: —

(i) Particulars of non-operation for July:

Total number of days in the month (July) (N): 31

Number of continuous days in the month the machine was inoperative (D): 12

Amount of cess paid for the month for the machine (C): ₹ 2,02,00,000

(ii) Computation of Abatement Amount for July(A1):

$$A1 = \left(\frac{2{,}02{,}00{,}000}{31}\right) \times 12 = ₹\ 78{,}19{,}355$$

(iii) Particulars of non-operation for August:

Total number of days in the month (August) (N): 31

Number of continuous days in the month the machine was inoperative (D): 10

Amount of cess paid for the month for the machine (C): ₹ 2,02,00,000

(iv) Computation of Abatement Amount for August(A2):

$$A2 = \left(\frac{2{,}02{,}00{,}000}{31}\right) \times 10 = ₹\ 65{,}16{,}129$$

(v) Adjustment: The amount of ₹ 1,43,35,484 (A1+A2) shall be allowed as an abatement by the proper officer in the order issued in say, October. The same shall be adjusted against the cess liability for November by the registered person."

(c) after rule 34, the following rule shall be inserted, namely:–

"35. Utilisation of cess.- (1) The cess, including any interest or penalty, shall be credited to the Consolidated Fund of India and be utilised for the purpose as provided in section 7 of the Act after due appropriation authorised by the Parliament.

(2) The cess, credited to the Consolidated Fund of India under sub-rule (1), shall be transferred to a fund to be called the Health Security se National Security Cess Fund after obtaining appropriation from the Parliament.

(3) The transfer of the cess to the said Fund shall be carried out quarterly, by the Department of Revenue, Ministry of Finance.

(4) The activities, schemes and programmes to be financed from the said Fund shall encompass those related to public health and national security of India.

(5) The identification of the activities, schemes and programmes and the inter-se allocations of the cess, including any interest or penalty, for the said designated purposes shall be decided by the Budget Division, Department of Economic Affairs in consultation with Department of Expenditure, Ministry of Finance.

(6) The transfer of the amount to the said Fund, the debit of the Fund, and the maintenance of the ledger of the Fund shall be as per the accounting procedure formulated by the Office of the Principal Chief Controller of Accounts, Central Board of Indirect Taxes and Customs, and as approved by the Comptroller and Accountant General of India.

(7) The accounts of the Fund maintained by the Central Government shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India.";

(d) in FORM HSNS DEC-01,-

(i) in paragraph 4, in Table A and Table B,-

(I) in the column heading of column (7), for the word "tracks", the word "cups" shall be substituted;

(II) in the column heading of column (13), for the word "track", the word "cup" shall be substituted;

(III) in the column heading of column 13, after the word "minute", the following shall be inserted, namely:-

"[9/8]";

(ii) in paragraph 5,-

(I) in the heading, for the word and figure "table 4", the words and figure "at serial number 4" shall be substituted;

(II) in the Table,-

(A) in the column heading of column (2), for the words and figure "Table III or Table IV", the words and letter "Table A or Table B" shall be substituted;

(B) in the column heading of column (4), for the word "tracks", the word "cups" shall be substituted;

(C) in the column heading of column (10), for the word "track", the word "cup" shall be substituted;

(D) in the column heading of column (10), after the word "minute", the following shall be inserted, namely;-

"[7/6]";

(e) in FORM HSNS CE-01,-

(i) in paragraph 2, in the Table,-

(I) in the column heading of column (6), for the word "Tracks", the word "cups" shall be substituted;

(II) in the column heading of column (12), for the word "Track", the words "cup or funnel" shall be substituted;

(III) in the column heading of column (12), after the word "minute", the following shall be inserted, namely:-

"[8/7]";

(IV) in the heading of column 13, after the word "minute", the following shall be inserted, namely:-

"[6 X 12] or [9 X 12]";

(ii) in paragraph 3, in sub-paragraph 2,-

(I) for the word and figures "Column 10", the word and figures "Column 13" shall be substituted;

(II) for the word and figure "Column 8", the word and figures "Column 11" shall be substituted;

(iii) in the Instructions for the Chartered Engineer for serial number 2, the following shall be substituted, namely:-

"2. Column 13 (Total packing capacity): This is the maximum rated speed. It should be calculated as: (Packing Capacity of each cup or funnel) × (Number of cups or funnels). This figure determines the Cess slab in Schedule II of the Act."

(f) in FORM HSNS RET-01, in the instructions for filing FORM HSNS RET- 01, in serial number 1, in the example, for the figure " 5", the figure " 4" shall be substituted;

(g) in FORM HSNS APL 02, in the heading, for the word and figures "section 61", the word and figures "section 30" shall be substituted.

[F. No.S-25014/2/2025-DS(ST)-DOR(Pt.5)]

VIKASH KUMAR, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification No. 01/2026-HSNS Cess, dated the 1st January, 2026, vide number G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA